यू॰पी॰ बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/20/2020 **दिनांक :** 07.02.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

1986 से पूर्व बैंक सेवानिवृत्तों को देय अनुदान में संशोधन

एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् ने अपने पत्र संख्या एआईबीईए/जीएस/2020/12 दिनांक 7.2.2020 द्वारा 1986 से पूर्व बैंक सेवानिवृत्तों के लिए देय अनुदान में संशोधन करने के मामले को माननीय वित्त मंत्री के साथ उठाया है। हम इस पत्र का अनूदित सार अपनी सभो इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रति
श्रीमती निर्मला सीतारमण
माननीय वित्त मंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

आदरणीय महोदया,

1986 से पूर्व बैंक सेवानिवृत्तों को देय अनुदान में संशोधन

हम एक बार फिर निम्नलिखित वास्तविक मुद्दे के विषय में आपको प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का साहस करते हैं जिसे सरकार के बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण विचार की आवश्यकता है। हमने पूर्व में भी आपको पत्र लिखा है लेकिन शायद यह आपके ध्यान से निकल गया या उस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पृष्ठभूमि : भारत सरकार के अनुमोदन से, भविष्य निधि के स्थान पर 1.1.1986 से बैंकों में पेंशन योजना शुरू की गई थी। **1986 से पूर्व** सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन योजना में **शामिल नहीं किया गया** था।

प्रतिवेदनों के आधार पर, सरकार ने **1998 में** अपने दिशा–निर्देश जारी किए, जिसमें बैंकों के **1986 से पूर्व सेवानिवृत्त जीवित कर्मचारियों के लिए** नवबंर, 1997 से प्रतिमाह **रू0 300 + महंगाई भत्ता** की एक अनुदान राशि का भुगतान करने की सलाह दी गई थी।

जारी पृष्ठ 2

बाद में, **2006 में,** सरकार ने सलाह दी कि 1986 से पूर्व सेवानिवृत्तों के **जीवित जीवनसाथी** को **बिना किसी महंगाई भत्ते के रूपये 1000 प्रतिमाह** क एक निश्चित एकमुश्त **अनुदान** का भुगतान किया जायेगा।

वर्तमान स्थिति : **2013 में,** सरकार ने सलाह दी कि 1986 से पूर्व के इन जीवित सेवानिवृत्तों को **रूपये 350 प्रतिमाह + महंगाई भत्ते** का भुगतान किया जा सकता है और ऐसे सेवानिवृत्तों के जीवित जीवनसाथी को **रूपये 175 प्रतिमाह + महंगाई भत्ते** का भुगतान किया जा सकता है। **यह अब भी जारी है।**

फिलहाल, केवल **17 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक** इस योजना में **शामिल हैं।** भारतीय स्टेट बैंक को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनकी बहुत पहले से अपनी अलग पेंशन योजना है।

पूरे बैंकिंग उद्योग में केवल **2500 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त** हैं जो इस अनुदान भुगतान में शामिल हैं।

इसी तरह, ऐसे 1986 से पूर्व सेवानिवृत्तों के **2900 जीवित जीवनसाथी** हैं।

वर्तमान में **सभी 17 बैंकों का** मिलाकर **कुल खर्च/अदायगी** केवल लगभग **रूपये 1.75 करोड़ प्रतिमाह या लगभग रूपये 20 करोड़ प्रतिवर्ष** है।

1986 से पूर्व बैंक से सेवानिवृत्त होने वाले, ये सेवानिवृत्त बहुत वृद्ध हैं और आज **न्यूनतम 94 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग** में हैं और वे प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं कि अनुदान राशि को संशोधित किया जा सकता है और जीवनयापन की वर्तमान लागत, मुद्रास्फीति, चिकित्सा व्ययों आदि का ध्यान रखते हुए इसे कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है।

हम इन अति वरिष्ठ नागरिकों के इस वास्तविक प्रतिवेदन पर कृपापूर्वक विचार करने के लिए आपके आभारी रहेंगे।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

प्रतिलिपि :

- सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
- चेयरमैन, इडियन बैंक्स एसोसिएशन, मुम्बई